

V-242
#2/2024

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी-375

दिनांक 01-2-2024

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

विषय :- 90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए की लोक सूचना संलग्न प्रारूप अनुसार 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध करवाने का श्रम करे।


उपायुक्त जोन-12,
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....D-375

दिनांक 01-2-2024

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना श्याम नगरी 1st के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुनर्ग्रहण योग्य है।


अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टे. मे)	स्वामित्व
ग्राम नींदड तहसील आमर	1698/3472 1698/3481	1.28 0.50	1. कैलाश पुत्र कल्याण हिस्सा- 1/3 जाति- मीणा सा.देह खातेदार 2. ताराचन्द पुत्र कल्याण हिस्सा- 1/3 जाति- मीणा सा.देह खातेदार 3. हरफूल पुत्र कल्याण हिस्सा- 1/3 जाति- मीणा सा.देह खातेदार,
	कुल 2	1.78	

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/ अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 01-2-2024 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-12 जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

सार्वजनिक सूचना

प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत जोन-12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री हरीश कुमार जौमन पुत्र श्री बनवारी लाल जौमन	श्री लोकेश पारीक पुत्र श्री गोपीनाथ पारीक	313	152.7 वर्गगज	सिरसली गृ. नि.स.स.	रामेश्वरम्	लीजडीड हेतु	सूची में नाम दर्ज करने हेतु

उपरोक्त का नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
यू.ओ.नोट क्रमांक : जविप्रा/जोन-12/2024/डी- 369
दिनांक 31.1.24

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/103113

दिनांक: 31/01/2024

लोक सूचना

श्री एम.डी. बांगड पुत्र श्री श्रीबालचन्द जाति महाजन निवासी-एफ 95, मेजर शैतान सिंह कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर।

श्रीमती सुमनलता बांगड पत्नी एम.डी. बांगड जाति महाजन निवासी-एफ 95, मेजर शैतान सिंह कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर।

श्री माधोदास बांगड पुत्र श्री बाल किशन बांगड जाति महाजन निवासी 2/326, उत्सव मैरिज गार्डन के सामने, विद्याधर नगर, जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	बालमुकुन्दपुरा उर्फ नाडा, सांगानेर (जयपुर)	श्री एम.डी. बांगड पुत्र श्री श्रीबालचन्द जाति महाजन निवासी-एफ 95, मेजर शैतान सिंह कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर।	323	3200	0.32
			347	2900	0.29
			348	2300	0.23
			349	5200	0.52
			350	3300	0.33
			351	2600	0.26
			352	5600	0.56
			354	3800	0.38
			355	4000	0.40
			356	8000	0.80
			358	4900	0.49
			359	2100	0.21
			361	1600	0.16
			362	7900	0.79
2.	बालमुकुन्दपुरा उर्फ नाडा, सांगानेर (जयपुर)	श्रीमती सुमनलता बांगड पत्नी एम.डी. बांगड जाति महाजन निवासी- एफ 95, मेजर शैतान सिंह कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर।	324 / 1	400	0.04
			324 / 391	200	0.02
			337 / 1	9500	0.95
			338	8100	0.81
			339	7600	0.76
			340 / 1	9300	0.93
			345	4800	0.48


कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


			346	4300	0.43
			353	2500	0.25
3	बालमुकुन्दपुरा उर्फ नाडा, सांगानेर (जयपुर)	श्री माधोदास बांगड पुत्र श्री बाल किशन बांगड जाति महाजन निवासी 2/326, उत्सव मैरिज गार्डन के सामने, विद्याधर नगर, जयपुर।	353 / 398	1000	0.10
कुल					10.51

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **31-01-2024** को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

विषय:-विज्ञप्ति प्रकाशन के सम्बन्ध में।


उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री दयाल सिंह शेखावत	श्रीमती प्रकाश कंवर पत्नी श्री दयाल सिंह शेखावत	71	129.16 व.ग.	भैरव गृ.नि.स.स.	श्री हरिहर विहार	फ्री होल्ड पट्टा हेतु	उत्तराधिकार के आधार पर
2.	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री दयाल सिंह	श्रीमती प्रकाश कंवर पत्नी श्री दयाल सिंह शेखावत	72	129.16 व.ग.	भैरव गृ.नि.स.स.	श्री हरिहर विहार	फ्री होल्ड पट्टा हेतु	उत्तराधिकार के आधार पर
3.	श्री नन्दकिशोर अग्रवाल, ओमप्रकाश अग्रवाल, सुमन देवी अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, प्रियंका अग्रवाल पुत्र/पत्नी/ पुत्री स्व. श्री जानकी लाल अग्रवाल एवं प्रतीक अग्रवाल पुत्र स्व. श्री बसन्त कुमार अग्रवाल	श्री मोतीराम पुत्र श्री बालजी	50	238.00 व.ग.	संयुक्त गृ.नि.स.स.	स्कीम नं. 5 विजयबाडी	फ्री होल्ड पट्टा हेतु	उत्तराधिकार के आधार पर
	श्री इन्द्रभान सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप सिंह	श्री इन्द्रभान सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप सिंह	194	227.39 व.ग.	शंकर भवन गृ.नि.स.स.	ग्रीन पार्क-बी	फ्री होल्ड पट्टा हेतु	मूल दस्तावेज के आधार पर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्र. स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
5.	श्री गायत्री देवी पत्नी श्री लोकमणी	श्री गोविन्दराम	256	50.00 व. ग.	जविप्रा	मुहलीपुरा स्कीम	फ्री होल्ड पट्टा हेतु	अपंजीकृत ईकरास्नाना के आधार पर
6.	श्री सत्यनारायण कुमावत व दीनदयाल कुमावत पुत्रान् श्री हीरा लाल कुमावत	श्रीमती राधा देवी पत्नी श्री हीरा लाल कुमावत	20	477.17 व.ग.	मोती भवन गृ.नि. स.स.	4 ई आर्य नगर	फ्री होल्ड पट्टा हेतु	हक त्याग के आधार पर

जनसम्पर्क अधिकारी

जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/जोन-6/24/डी-291


उपस्थित जोन-6
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

दिनांक:- 31/11/24

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}; फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}